# कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्याः 2668 /डीएलआरसी

दिनांकः 22 अगस्त, 2023

## आदेश

अतः उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–08 सन् 2012) की धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा सपठित उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम–55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–35/740/एक–1–2016–20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासन के नगर विकास अनुभाग–5 से निर्गत शासनादेश संख्या–4154/नौ–5–19–56सा/2018 दिनांक 09.10.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार, मैं **नवनीत सिंह चहल**, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ–5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम–6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त भूमि **"प्रतिपूरक वनीकरण** (Compensatory Plantation)" हेतु, वन विभाग के निवर्तन पर रखते हुए प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँः–

**अनुसूची–1**

| क0 सं0 | जनपद | तहसील | परगना | राजस्व ग्राम | गाटा/प्लॉट संख्या | गाटा/प्लॉट क्षेत्रफल (है0 में) | भूमि की श्रेणी | विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | आगरा | फतेहाबाद | फतेहाबाद | मड़ायना | 42मि | 67.0360 में से 0.9024 | बेहड़ | "प्रतिपूरक वनीकरण" (Compensatory Plantation) |

(नवनीत सिंह चहल),
जिलाधिकारी,
आगरा।

**संख्या व दिनांक उपरोक्तः:**

**प्रतिलिपिः–**

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुद्रण एवं प्रकाशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (उ0प्र0), इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाटर वर्क्स चौराहा, जीवनी मण्डी रोड, आगरा को उनके पत्र दिनांक 28.07.2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. उप जिलाधिकारी, फतेहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. तहसीलदार, फतेहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश का राजस्व अभिलेखो में नियमानुसार अमलदरामद कर अनुपालन आख्या खतौनी उद्धरण सहित इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

(नवनीत सिंह चहल),
जिलाधिकारी,
आगरा।

(८)

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 12510320240654

ग्राम क्रमांक : 125103 ग्राम का नाम (परगना) : मँड़ायना(फतेहाबाद) तहसील : फतेहाबाद जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00483

श्रेणी : 6-4 / जो अन्य कारणों से अंकृषित हो।

| खातेदार का विवरण | | खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण | | भूमि का विवरण | | खातेदार का अंश | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| खसरा/ गाटा संख्या | (2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार | (4) वर्ष | (5) गाटा (यूनीक कोड) | (6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.) | (7) हिस्से में | (8) क्षेत्रफल में (हे.) | (9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व |
| 42मि0 | 1) प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Plantation)/वन विभाग के निर्वन पर प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग/आगरा<br>2) बेहड//नि. ग्राम | 1) अन्य /2668/DLRC /22-08-2023 /अधिग्रहण | | 42मि0(1251030042208864) | 67.0360 | 1) -<br>2) 1/1 | 1) 0.9024<br>2) 66.1336 | 0.00 |
| | | | | | | | 67.0360 | |

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- छ: सात दशमलव शून्य तीन छ: शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - छ: सात दशमलव शून्य तीन छ: शून्य (हेक्टेयर)

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण | खारिज किया गया | | | दर्ज किया गया | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक | (11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड | (13) क्षेत्रफल (हे.) | (14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड | (16) क्षेत्रफल (हे.) |
| 1) अन्य /2668/DLRC /22-08-2023 /अधिग्रहण /BHAVANI SINGH /19-02-2024 | 1.1) बेहड//नि. ग्राम (शेष क्षेत्रफल : 66.1336) | 42मि0(1251030042208864) | 1.1) 0.9024 | 1.1) प्रतिपूरक वनीकरण (Compensatory Plantation)/ वन विभाग के निर्वन पर प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग/आगरा | 42मि0(1251030042208864) | 1.1) 0.9024 |

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति

प्रतिलिपि प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत पत्रावली दिनांक 04.06.2022 के अनुसार आदेश जिलाधिकारी महोदय आगरा के पत्रांक संख्या 1206/प-171/ डीएलआरसी दिनांक 25.02.2022 व पत्रांक संख्या 1207/प-171/डीएलआरसी दिनांक 25.02.2022 के अनुपालन में सर्वोच्च श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्वीकृत ... मौजा गुटावई में खाता संख्या 312 की गाटासंख्या 10 रकबा 1.000हे0 व 1.4000हे0 यानी कुल 2.4000हे0 चरागाह की प्रतिपूर्ति हेतु मौजा मडाएना में 2.4000हे0 भूमि चरागाह के नाम

दिल्ली आदेश दिनांक 30.01.2020 IAD. NO. 153409 व 153411/2018 व 181267 व 181268/2018 मौजा गुटावई में खाता संख्या 312 की

42मि/67.0340हे0 मे से 2.4000हे0 चरागाह के नाम दर्ज हो द्वारा पत्रावली ह0र0क0 दिनांक 07.06.2022

1429फ राजस्व ग्राम मुटावई के खसरा संख्या 10 व मौजा मडायना के खसरा संख्या 42मि पर उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 04.06.2022 के त्रुटिपूर्ण अमलदरामद दिनांक 07.06.2022 की प्रविष्टि निरस्त की जाती है ह0र0क0 दिनांक 14.06.2022

3) 1429फ व आदेश श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय फतेहाबाद के आदेश दिनांक 04.06.2022 मौजा मडायना की खसरा संख्या 42मि रकबा 67.0360हे0 बेहड की भूमि मे से रकबा 2.4000हे0 पर चारागाह के लिये सुरक्षित की जाती है ह0र0क0 दिनांक 14.06.2022

4) 1430फ व आदेश श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय फतेहाबाद के आदेश दिनांक 24.12.2022 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी महोदय आगरा के पत्र संख्या 1979/डीएलआरसी दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के क्रम में जनपद आगरा में इनर रिंग रोड परियोजना हेतु 4.3600हे0 व जनपद मथुरा में उत्तरी बाईपास परियोजना हेतु 6.0700हे0 व रा0रा0 संख्या 530बी (मथुरा-हाथरस पै0-1बी) परियोजना हेतु 12.3700हे0 कुल 23.000हे0 भूमि में उक्त परियोजना के निर्माण में वृक्षों के पातन के फलस्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम मडायना तहसील फतेहाबाद जिला आगरा की गाटासंख्या 42 रकबा 67.0360हे0 मे से 23.000हे0 भूमि वन विभाग को 10 वर्ष के लिये दी जाती है उक्त भूमि पर स्वामित्व ग्राम सभा मडायना का रहेगा व भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा द्वारा पत्रावली ह0र0क0 दिनांक 24.12.2022

| | | |
|---|---|---|
| Data Digitally Signed by: BHAVANI SINGH (RI OFFICE)<br>दिनांक/समय/स्थान: 03-06-2024 02:20:11 तहसील : फतेहाबाद<br>● यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। | मुद्रित कर्ता : NATTHI LAL तहसील : फतेहाबाद<br>मुद्रित दिनांक एवं समय: 03-06-2024 02:20:11<br>● Not Applicable For Online Prints ● उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है। | |

उपजाति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आगरा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा